न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हस्तेडा)
मु.न. 79 / 2017

उनवान

छगन लाल पुत्र श्री पुराराम, जाति जाट, उम्र 47 वर्ष करीब, निवासी ग्राम बागडों का बास, तन आष्टिकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामदेव
2. गोविन्दराम पुत्र भूराराम
3. प्रभूदयाल पुत्र भूराराम
4. मदन लाल पुत्र भूराराम
5. गोपाल पुत्र छीतर
6. जीवण पुत्र छीतर
7. पप्पू पुत्र छीतर
8. बोदू पुत्र आनन्दी लाल
9. शंकर पुत्र आनन्दी लाल
10. सुरेश पुत्र आनन्दी लाल
11. चौथमल पुत्र आनन्दी लाल
12. गोपाल पुत्र नाथू
13. रामकिशोर पुत्र नाथू
14. रामलाल पुत्र नाथू
15. कैलाश पुत्र नाथू
16. श्रीनारायण पुत्र नाथू
17. मूलचन्द पुत्र नाथू
18. भगवाना पुत्र मुरली

    समस्त जाति कुम्हार, निवासी पेट्रोल पम्प के पास, ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

19. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 31.05.2018

पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हस्तेडा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में खातेदारी खसरा नम्बर 798 / 2 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 5.5.17 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय चौमूं के आदेश क्रमांक / एल0आर0 / 1384 दिनांक 17.10.2016 की पालना में राजस्व ग्राम हस्तेडा के खसरा नम्बर 798 / 2 के मौके

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

पर सीमाज्ञान मौके पर पहुॅच कर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 880,791 को स्थाई आधार मानकर जरीब चलाकर सीमा नाप कर सभी पक्षकारान को समझाई गई तथा सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये थे, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं जिस हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

प्रार्थना पत्र में वर्णित अराजीयात प्रार्थी की हिस्से की खातेदारी भूमि हैं, जिसकी पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं, किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 18 प्रार्थी को उसके कब्जे शुदा एवं स्वामित्व की भूमि का प्रार्थना पत्र में वर्णित की पत्थरगढी नहीं करवाने दे रहे हैं तथा उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 18 प्रार्थी के पडौसी काश्तकार व्यक्ति हैं। दिनांक 31.05.2017 को प्रार्थी सीमाज्ञान अनुसार मौके पर पत्थरगढी करने लगा तो उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 18 लडाई झगडा करने लगे और पत्थरगढी नहीं करने दी, जिस कारण यदि पत्थरगढी के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते हैं तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थी अपने कब्जे शुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमांकन करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी के आदेश अप्रार्थी संख्या 19 को दिये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पक्षकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 05.05.17 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 05.05.17 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हस्तेडा में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला-जयपुर

Scanned by CamScanner